संख्याः15/2024/सी0एम-56/35-4-2024/35-4099/81/2022

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक: 17 जनवरी, 2024

विषय: जनपद- देवरिया में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में **जनपद- देवरिया के विधान सभा क्षेत्र-रूद्रपुर के ग्राम सेहुडा में निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण कार्य** की त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत शासनादेश सं0-108/2020/914/35-4-2020 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 द्वारा रू0 1016.61 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 254.15 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-604/2021/2621/35-4-2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रु0 254.15 लाख, तथा शासनादेश संख्या-27/2023/35/35-4-2023/001-35-4099/81/2022 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 254.15 लाख की धनराशि सहित अब तक कुल रू0 762.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, देवरिया के पत्र सं0-1116/त्व0वि0यो0/2021-22 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 द्वारा उक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1016.61 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गई कुल रू0 762.45 लाख की धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए, अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किस्त के रूप में **अवशेष देय रू. 254.16 लाख (रूपये दो करोड़ चौव्वन लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय आई0टी0आई0, ग्राम सेहुडा, विधान सभा क्षेत्र-	1016.61	762.45	254.16

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ींदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

http://sharanadesh.up.gov.in

रूद्रपुर, देवरिया का भवन निर्माण कार्य ।			

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-30 दिसम्बर, 2020, दिनांक- 28 दिसम्बर, 2021 तथा दिनांक- 05 जनवरी, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,54,16000 (रूपये दो करोड़ चौव्वन लाख सोलह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-42502030302 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ींदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

http://sricanteen.up.gov.in

संख्याः15/2024/सी0एम-56(1)/35-4-2024/35-4099/81/2022/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, मण्डल।
8. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देवरिया ।
14. संबंधित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया ।
15. संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ींदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।